

प्रेसनोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 06.03.2023

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अवैध हथियारों तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली जनपद गोरखपुर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा राजेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना राजघाट गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में को अवैध हथियार (एक अदद चाकू नाजायज) के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट Act. पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- उ0नि0 कुँवर गौरव सिंह मय हमराह क्षेत्र में मामूर होकर केडिया तिराहे पर मौजूद थे कि थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मनीष रावत पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर निवासी कालिका होटल के पीछे इंदिरा नगर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को अवैध हथियार (एक अदद चाकू नाजायज) के साथ गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ पर बताया कि मैंने आर्बिट कार शोरूम ट्रांसपोर्टनगर के सामने से एक अपाची मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP53BA9740 चुराई थी जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर मु0अ0सं0 151/2023 धारा 379,411 भा0द0सं0 पंजीकृत है, तथा थाना रामगढ़ताल का कुख्यात गैंगेस्टर है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामपता- मनीष रावत पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर निवासी कालिका होटल के पीछे इंदिरा नगर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

एक नाजायज चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 659/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 151/2023 धारा 379,411 भादसं0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 76/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 484/2022 धारा 379,403,411,414 भादसं0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 481/2022 धारा 379, 411भादसं0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 कुँवर गौरव सिंह चौकी प्रभारी टीपीनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. का0 अंकित बिन्द थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. का0 कुन्दन कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर